विशेष आर्थिक क्षेत्र
(SPECIAL ECONOMIC ZONE OR SEZ)

विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर स्थापित विशेष रूप से एक चिह्नित क्षेत्र या एनक्लेव होते है जिनमें देश के शेष भागों की तुलना में अधिक उदार कानून होते हैं।[1] साथ इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजित करने के लिए विभिन्न व्यवसायिक कानून होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र विश्व के विभिन्न भागों में स्थापित ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहाँ व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज (SEZ) देश का प्रशासनिक रूप से एक ऐसा विलग आर्थिक क्षेत्र होता है, जिसमें व्यापार तथा अन्य करों से पूर्णतया मुक्त होते है या इनमें सम्बन्धित देश आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त रियायतें प्रदान करता है।

सन् 2022 में विश्व के विभिन्न देशों में 7 हजार से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित हैं। यह क्षेत्र वैसे तो विश्व के अधिकांश देशों में मिलते हैं, लेकिन यह क्षेत्र प्रमुख रूप से विश्व के विकासशील तथा संक्रमणी अर्थव्यवस्था (Transitioinal Economies) वाले देशों में स्थापित हैं। जहाँ इन्हें देश के औद्योगीकरण को गति प्रदान करने वाले उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रकार (Types of Special Economic Zone)

विश्व के विभिन्न भागों में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निम्न प्रकार मिलते हैं–

1. **मुक्त व्यापार क्षेत्र** (Free Trade Zones या FTZ)–इन्हें मुक्त व्यावसायिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में कर मुक्त क्षेत्र तथा व्यापार के लिए वेयर हाउस, स्टोरेज व वितरण सुविधाओं की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

2. **निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र** (Export Processing Zone)–निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्रमुख रूप से ऐसे औद्योगिक इस्टेट होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विदेशी बाजारों की सुविधा उपलब्ध होती है। इन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार तथा रियासती नियामक वातावरण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

1. "An SEZ is an enclave, within a country that is tyipcally duty free and has different business and commercial laws chiefly to encourage investment and create employment."

3. **विस्तृत विशेष आर्थिक क्षेत्र** (Comprehensive Special Economic Zone)–इन्हें बहुकार्यात्मक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह बड़े आकार वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें विशिष्ट औद्योगिक सेवाओं तथा नगरीय सुविधाओं की उपलब्धता होती है। कभी-कभी यह इस प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र पूरे नगर या उसके क्षेत्राधिकार पर विस्तृत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में शेनझेन नगर तथा हेनान प्रान्त।

4. **औद्योगिक पार्क** (Industrial Parks)–इन्हें औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से वृहद् स्तरीय विनिर्माण इकाईयाँ कार्यरत होती हैं। औद्योगिक पार्कों में सामान्यतया इन क्षेत्रों में अनेक प्रोत्साहनों, रियायतों तथा लाभों की सुविधा प्राप्त होती है।

5. **बोन्डेड क्षेत्र** (Bonded Area)–इन्हें बोन्डेड वेयर हाउसेस भी कहा जाता है। यह क्षेत्र विशिष्टीकृत भवन या अन्य सुरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनमें वस्तुओं का रियायतीदरों पर करमुक्त भण्डारण किया जाता है। काफी सीमा तक एक बोन्डेड क्षेत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र या मुक्त बन्दरगाह के समान होता है। लेकिन बोन्डेड क्षेत्र में विभिन्न कस्टम कानून व नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जबकि मुक्त व्यापार क्षेत्र इन प्रावधानों से मुक्त रहते हैं।

6. **विशिष्टीकृत क्षेत्र** (Specialized Zones)–इनमें साइंस/टेक्नोलोजी पार्क, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क तथा एयरपोर्ट आधारित क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

7. **इको-औद्योगिक क्षेत्र या पार्क** (Eco-Industrial Zones or Parks)–इस प्रकार के क्षेत्रों/पार्कों में किसी फर्म की पर्यावरणीय प्रदर्शन के सुधार व व्यर्थ पदार्थों को कम करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी सुधार पर बल दिया जाता है। इन क्षेत्रों में पार्कों में ऊर्जा व संसाधन प्रभाविता को प्राप्त करने के लिए 'औद्योगिक सहजीविता' (Industrial Symbiosis) की संकल्पना तथा हरित तकनीक का उपयोग किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की सामान्य विशेषताएँ (General Characteristics of Special Economic Zone)

विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित 4 सामान्य विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं।

1. यह एक भौगोलिक रूप से सीमांकित (प्राय: भौतिक रूप से संरक्षित) क्षेत्र होता है।
2. यह क्षेत्र एक प्रबन्धन या प्रशासन रखता है।
3. यह क्षेत्र के अन्दर निवेशकर्त्ताओं को अनेक लाभ प्रदान करता है।
4. यह एक अलग कस्टम क्षेत्र (कर-मुक्त लाभ) होता है, जिसमें निवेश के लिए सुव्यवस्थित व आसान विधियों का अनुपालन किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभ (Advantage of Special Economic Zone)

किसी भी देश या प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. आयात-निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है।
2. स्वदेशी तथा विदेशी निवेश का बढ़ावा मिलता है।
3. औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।
4. अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है।
6. देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता मिलती है।

विश्व के प्रमुख देशों में विशेष आर्थिक क्षेत्र
(SPECIAL ECONOMIC ZONE IN IMPORTANT COUNTRIES OF WORLD)

विश्व का सबसे पहला आधुनिक विशेष आर्थिक क्षेत्र सन् 1959 में आयरलैण्ड के शेन्नोन में स्थापित किया गया। सन् 1970 के दशक में पूर्वी एशिया तथा लेटिन अमेरिकन देशों में विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रमुख रूप से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए।

सन् 2022 में विश्व में 3500 से 4000 के मध्य विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में चीन, भारत, पोलैण्ड, स्पेन, यूक्रेन, बंगलादेश, इण्डोनेशिया तथा कम्बोडिया सम्मिलित हैं।

1. **चीन**—सन् 2022 में चीन में 12 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। चीन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की दृष्टि से चीन विश्व का सफलतम देश माना जाता है। सन् 1979 में चीन के दक्षिणी-पूर्वी तटीय प्रदेश में सर्वप्रथम निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई—

(i) गुआंगडोंग प्रान्त में **शेनझेन** (Shenzhen), **जुहाई** (Juhai) व **शानताऊ** (Santou)।

(ii) फुजियान प्रान्त में जियोमेन (Xiamen)।

सन् 1983 में हेनान द्वीप को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया। इसके बाद चीन के खुले तटीय भागों में 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये गये। इनमें शंघाई का पुडोंग तथा गुआंग्जी प्रान्त में **बिनहाई** उल्लेखनीय है। इसके अलावा फुजियान प्रान्त में **फुझोऊ**, ग्वांगडोंग प्रान्त का **गुआनझाऊ** व **झानजियांग**, जियांग्सू प्रान्त में **लियानचुनगेंग** व **नानतोंग**; शांगडोंग प्रान्त में **किंगदाओ** व यानताई तथा झेजियांग प्रान्त में **निंगबो** व वेनझाऊ खुले तटीय क्षेत्रों के अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं।

काशगर, उरूमची, ल्हासा, वूहान, तथा **बीजिंग** देश के आन्तरिक भागों में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं।

2. **भारत**—देश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सन् 1965 में गुजरात राज्य के कांदला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। नोएडा (उत्तर प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल), विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश), **चेन्नई** (तमिलनाडु), **कोचीन** (केरल), **सांताक्रूज** (महाराष्ट्र), **इंदौर** (मध्य प्रदेश), **कांदला** व **सूरत** (गुजरात) सर्वप्रमुख सात विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में स्थापित किया गया। एस.ई.जेड अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सन् 2023 में भारत में 272 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत थे, जिनमें लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। इनमें तमिलनाडु राज्य में 49, महाराष्ट्र में 37, तेलंगाना में 35, कनार्टक में 34, केरल में 20 तथा उत्तर प्रदेश में 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यरत थे।

राज्य सरकार/निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किये गये विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सूरत, (गुजरात), इंदौर जनपद (मध्य प्रदेश), मनीकंचन (प. बंगाल), जयपुर (राजस्थान) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) सर्वप्रमुख हैं।

अन्य (Others)

स्पेन—कनारी द्वीप विशेष आर्थिक क्षेत्र।

पोलैण्ड—14 **विशेष आर्थिक क्षेत्र**—कामियेना गोरा, कारोविका, कोस्ट्रनिन स्कोस्लुविका, **क्राकोस्की**, लॉजका, यूरोपार्क मिलेक, पामेरेनियन, स्लुपस्था, सुवालस्का, टार्नोब्रेज, वार्मिस्को, स्टाराचोविस, **वार्मियन** तथा बाल्ब्रजिक।

यूक्रेन—11 **विशेष आर्थिक क्षेत्र**—स्लाबुतिच, आजोव, डोनेत्सक, जकारपटिया, यावोरिव, कोवेल, कुरोर्तोपोलिस, माइकोताइव, पोर्टो-फ्रेंको तथा केनी।

बेलारूस—चीन-बेलारूस औद्योगिक पार्क।

बंगलादेश—8 **विशेष आर्थिक क्षेत्र**—एडमजी (सिद्धिरगंज), चटगांव, क्रोमिला, ढाका, ईश्वरडी, कर्णफुली, मोंगला तथा उत्तरा।

कंबोनिडया—22 विशेष आर्थिक क्षेत्र।

इण्डोनेशिया—20 विशेष आर्थिक क्षेत्र।

ईरान—12 विशेष आर्थिक क्षेत्र। राजधानी तेहरान के समीप पयाम देश का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र।

इसके अलावा **मलेशिया** में तीन, **म्यांमार** में छह, **उत्तरी कोरिया** में दो, **पाकिस्तान** में दस, **फिलीपीन्स** में चौदह (क्लार्क सबसे बड़ा), **दक्षिणी कोरिया** में आठ, **रूस** में अठारह, **सऊदी अरब** में चार, **थाईलैण्ड** में दस, **नाइजीरिया** में तीन, **बोत्सवाना** में आठ, **मेक्सिको** में तीन तथा **पनामा** में दो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005

[INDIA'S SPEICAL ECONOMIC ZONE (SEZ) ACT, 2005]

भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अप्रैल, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

नीति की घोषणा की गई। भारतीय संसद द्वारा मई 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया। जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। व्यापक परामर्शों के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, 10 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के उद्देश्य
(AIMS OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONE ACT, 2005)

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं–

(i) अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन,

(ii) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना,

(iii) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना,

(iv) रोजगार के अवसरों का सृजन,

(v) अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

यह आशा की जाती है कि इससे सेज में बुनियादी ढाँचे और उत्पादक क्षमता में विदेशी और घरेलू निवेश का एक बड़ा प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के प्रमुख प्रावधान
(IMPORTANT PROVISIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONE ACT, 2005)

इस अधिनियम में निहित प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. इस अधिनियम में सेज इकाइयों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने वालों के लिए कर में छूट का प्रावधान किया गया है।
2. इस अधिनियम के अनुसार, जो भी इकाइयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी, उन्हें पाँच वर्षों तक कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
3. इसके बाद अगले पाँच वर्ष कर में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
4. इसके बाद के अगले पाँच वर्ष तक निर्यात से होने वाले लाभ पर 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है।
5. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने वालों को भी 10 से 15 वर्ष की समय सीमा के लिए आयकर में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।
6. यह अधिनियम, आयात-निर्यात एवं वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को स्थापित करने में सहायक हैं।
7. आयात एवं निर्यात के लिए विश्व स्तर की सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रहा है।
8. इस अधिनियम का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से सशक्त बनाने तथा उसे स्वायत्तता प्रदान करना है। जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी जाँच एवं प्रकरणों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए।